न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 15 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रावताराम पुत्र श्री विशनाराम
2. गोरधनराम पुत्र श्री विशनाराम
3. बाबूराम पुत्र श्री विशनाराम
4. श्रीमती गंगादेवी धर्म पत्नी श्री विशनाराम
5. घमण्डाराम पुत्र श्री देवाराम कौम जाट निवासी पौषाल(गौखाब) तहसील शिव जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तगाराम पुत्र श्री मेहराराम
2.दुर्जनराम पुत्र श्री मेहराराम
3.प्रकाश पुत्र श्री मेहराराम
4.बबरी देवी धर्मपत्नी मेहराराम
5.लाभूराम पुत्र श्री कुम्भाराम
6.रमेशकुमार पुत्र श्री भारमलराम
7.ओमप्रकाश पुत्र श्री भारमलराम
8.बाबुराम पुत्र श्री भारमलराम
9.श्रीमती पूरोदेवी धर्मपत्नी श्री भारमलराम
10.जगमालराम पुत्र श्री दुर्गाराम
11.रावताराम पुत्र श्री दुर्गाराम
12.जोगाराम पुत्र श्री दुर्गाराम
13.मूलीदेवी धर्मपत्नी श्री दुर्गाराम
14.खेताराम पुत्र श्री देवाराम
15.मोटाराम पुत्र श्री देवाराम कौम जाट निवासी पौषाल(मौखाब) तहसील शिव जिला बाड़मेर
16.दौलाराम पुत्र श्री ओपाराम कौम जाट निवासी मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर
17.सताराम पुत्र श्री फुसाराम कौम जाट निवासी किसने का तला(बाटाडु) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
18.श्रीमान तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 15 / 2000 बअनवान मेहराराम बनाम लाभूराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2003 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से।
3. वकील श्री केसराराम विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 05,06,09, 11 से 13 की ओर से।
4. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 14, 15 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 22.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पौषाल तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 56, 46 व 34 रकबा क्रमश 110.07 बीघा, 100 बीघा, 192.02 बीघा कुल रकबा 402.9 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 ता 4 का 2/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथा प्रतिवादीगण 5 ता 9 का भी 2/3 हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादीगण का उनके हिस्से के मुजब बाहमी तौर से बंटवारा किया हुआ है व उसी अनुसार कब्जा काश्त है व कब्जा काश्त अनुसार भाई मीटरा एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर पृथक करवाना चाहते हैं वादी का 1/3 हिस्सा की भूमि मालिक कब्जा काश्त व बाहमी तौर से किये गये बंटवाड़ा अनुसार पृथक करने हेतु दावा पेश पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद को साक्ष्य वादी में रखा जाकर विधिक प्रक्रिया से परे जाकर अपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर व बिना तथ्यों का विवेचन किये निर्णय पारित कर दिया व गलत ढंग से वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है, बल्कि येनकेन प्रकरेण मामला वादी के पक्ष में करने की मंशा व जल्दबाजी से उक्त एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर पारित किया गया। वादी का वादग्रस्त भूमि पर भूमि के संबंध में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि वादीगण के नक्शा में दर्शाये हिस्सा में अपीलांटगण की रहवासी ढाणियां व टांके आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(1) Page 689

RRT 2011(2) Page 1129

RRT 2011(2) Page 1136

RRT 2020(2) Page 838

RRT 2022(1) Page 135

RRD 2003 Page 193

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार शिव द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात अपीलांटगण ने अपने हिस्से में आई भूमि को सहमति के अनुसार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 05, 06, 09, 11 से 13 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 14, 15 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते अपील पेश करने की अनुमति का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 96 सी पी सी पर बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय शिव में वाद के विचारण व डिक्री के समय अपीलांट 1 से 4 के वालिद विशनाराम पक्षकार रहे है व उतरदातागण 01 से 04 के वालिद मेहराराम, उतरदातागण 06 से 09 के वालिद भारलमराम, उतरदातागण 10 से 13 के वालिद दुर्गाराम पक्षकार रहे जो फौत हो चुके है इसलिए विशनाराम के स्थान पर अपीलांटगण 01 से 04 मेहराराम के स्थान पर उतरदातागण 01 से 04, भारमलराम के स्थान पर उतरदातागण 06 से 09, दुर्गाराम के स्थान पर उतरदातागण 10 से 13 को पक्षकार बनाकर उक्त अपील पेश की जा रही है। उपरोक्त पक्षकार वाद में पक्षकार नहीं होते हुए भी विधिक उतराधिकारी व हितबद्ध पक्षकार है एवं रेकर्डेड खातेदार है जिन्हें पक्षकार बनाया जाकर अपील पेश करने की अनुमति पेश किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील रेस्पोडेंटस की धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को नाहय तंग करने हेतु पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पारित की गई इसलिए वर्तमान में इस हस्तगत अपील को पेश करने की अनुमति अपीलांटगण को दिया जाना न्याचोचित नहीं है। अपीलांटगण हस्तगत अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांटगण का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी अस्वीकार किया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते अपील पेश करने की अनुमति पर बहस सुनी गई। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील वाद में संयोजित पक्षकारान के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से पेश की गई। न्यायहित में अपीलांटगण की अपील को हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील अपीलांटगण को पेश करने हेतु अनुज्ञात किया जाता है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण ग्रामीण व गरीब लोग है अपीलांटगण 5 अधिकतर समय परिवार के साथ बाहर मजदूरी पर रहता है व अपीलांटगण 1 ता 4 के वालिद बुजुर्ग व अनपढ होने से इस दावा की डिक्री का कोई ज्ञान नहीं रहा उतरदाता ने मिलीभगती व गलत बंटवारा की भनक विशनाराम को उनके जीवनकाल में नहीं होने दी विशनाराम का देहान्त इस वर्ष होने पर व अब भूमि पर अपीलांटगण के कब्जे को पाने के लिए नेखमबंदी का आवेदन कुछ अर्सा पूर्व पेश किया जिसका नोटिस हमें दिनांक 08.03.2021 को मिलने पर इस बाबत सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तब ज्ञान होने पर वकील हरीराम चौधरी से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली की नकलें मांगी जो दिनांक 10.03.2021 को प्राप्त हुई। व अन्य आवश्यक राजस्व नकलें प्राप्त कर ज्ञान के बाद वकील मुकर्रर कर उक्त अपील पेश किया जाना आवश्यक होने से सम्यक तत्परता से तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलांटगण ने जानबूझकर कोई देरी व लापरवाही नहीं की है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RLW 2005(2) Page 397

RRT 2002(1) Page 648

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में दानों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने की दिनांक से ही अपीलांटगण को उक्त निर्णय का ज्ञान था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात अपीलांटगण ने अपने हिस्से में आई भूमि को सहमति के अनुसार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन करवाया गया। इसलिए अपीलांटगण को उक्त सहमति के अनुसार करवाये विभाजन के दिन अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय व डिक्री का ज्ञान भी हो गया था। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को मिले न्याय से महरूम करने के लिए इतनी समयावधि व्यतीत होने के पश्चात पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2009-10(Supp.) Page 535

RRT 2018(2) Page 1112

RRT 2012(2) Page 1177

RRT 2011(1) Page 421

RRT 2017(1) Page 117

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायायल द्वारा दिनांक 17.01.2001 व 30.11.2002 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। उसके पश्चात पुनः बरामद करते वक्त अपीलांटगण को किसी प्रकार के कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.12.2001 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2000 बउनवान मेहराराम बनाम लाभूराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2003 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणपत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए, बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। । उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

([illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर